इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन का बजट

सरकार द्वारा पेश किया गया बजट प्रभावशाली इकनॉमिक ग्रोथ की थीम पर आधारित है, जिसमें अमीरों पर 'करोड़पति' टैक्सेस लगाते हुए ग्रामीण तरक्की, बुनियादी ढांचे को बल देने और जॉब क्रिएशन पर खास जोर दिया गया है। वर्तमान टैक्स स्लैब और रेट में ज्यादा बदलाव न करते हुए टैक्स प्रोपोजल्स ज्यादातर छोटे करदाताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जिससे तरक्की और रोजगार को बढ़ावा मिले।

5 लाख से कम आए वाले लोगों को सीधे तौर पर उनकी टैक्स लायबिलिटी में से 3 हजार रुपये की राहत मिलेगी। धारा 80 जीजी के अंतर्गत मकान के किराए की कटौती सीमा भी 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। पहली बार मकान खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के होम लोन पर 50 हजार रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त ब्याज छूट मिलेगी, जिससे 15 हजार रुपये की प्रति वर्ष बचत संभावित है। दूसरी तरफ, अमीरों को सरचार्ज और अतिरिक्त करों के जरिए और कर अदा करने पड़ेंगे। सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा की डिविडेंड इनकम पर 10% का नया टैक्स लगेगा। इस तरह के सही दिशा में किए गए अनेक बदलाव हैं, जो टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने में मदद करेंगे जिससे फंड्स अल्ट्रा हाई इनकम सेगमेंट से जरूरत विकास वाले क्षेत्रों (जैसे- ग्रामीण, कृषि और बुनियादी ढांचे) में मूव करेंगे।

बजट में कृषि और ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इसने ग्रामीण आय को 5 सालों में दोगुनी करने के मकसद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दिया है। बुनियादी ढांचे के लिए 2.2 लाख करोड़ की व्यवस्था कर उसे जबरदस्त बल दिया गया है। 7वें वेतन आयोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक खर्च करने का संयुक्त असर छोटी जगहों पर आर्थिक वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनेक दूरदृष्टि वाले रिफॉर्म्स प्रस्तुत किए हैं जो आने वाले सालों में अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे। आधार प्लैटफॉर्म पर भी फोकस जारी रखा गया है जिससे सब्सिडीस का सीधे-सीधे लाभ मिल सके। कुल मिला कर यह बजट एक बैलेंस्ड बजट है, जिसमें अनुशासन और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिया गया है।